

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0-पि0व0/क्ष0स्था0-15-11/2018 (खंड-1)-

पटना, दिनांक-

कार्यालय आदेश

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0-9889, दिनांक-01.12.2015 में निहित प्रावधान के आलोक में श्रीमती रश्मि परवीन, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT), विषय-गृह विज्ञान, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, अरवल के द्वितीय संतान हेतु दिनांक-04.04.2026 से 30.09.2026 तक कुल-180 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(गोपाल प्रसाद)
उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि0व0/क्ष0स्था0-15-11/2018 (खंड-1)-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अरवल/कोषागार पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश है कि श्रीमती रश्मि परवीन की मातृत्व अवकाश के अवधि में आंतरिक व्यवस्था के तहत शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

2. प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. श्रीमती रश्मि परवीन, उच्च-माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि0व0/क्ष0स्था0-15-11/2018(खंड-1)-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप निदेशक Gopal Prasad
Date: 04-05-2026 15:28:38